...यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...–पत्र संख्या :–285 / 2022 | दायर दिनांक: 24.11.2022

CMS NO:- 2022/511 | पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

मदनलाल आ. छोटूलाल जाति धाकड नि. भावपुरा।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 05.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम छोटीपडाप मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 38,48,49 व 50 कुल रकबा 1.4967 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे मदनलाल पुत्र छोटूलाल हि0 पूर्ण जाति धाकड सा0 भावपुरा खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे बताया कि उक्त भूमि की सीमा के संबंध मे प्रार्थी व पडोसी खातेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है जिसके लिए प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ को सीमाकंन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिसकी पालना मे मौके पर सीमाकंन भी दिनांक 04.11.2022 को हो चुका है लेकिन सीमाकंन होने के पश्चात भी पडोसी खातेदारान से विवाद स्थिर बना हुआ है, यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, शपथ पत्र की प्रति, पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

तहसीलदार नैनवॉ द्वारा कमांक / भू0अ0 / 25 / 1950 दिनांक 05.05.2025 से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित भूमि खसरा नम्बर 38,48,49 व 50 जो पूर्व मे प्रार्थी मदनलाल पुत्र छोटूलाल जाति धाकड के नाम से खातेदारी दर्ज थे, जिसका बेचान होने से नामान्तरकरण संख्या 629 दिनांक 22.03.2023 से वर्तमान मे उक्त सभी खसरा नम्बरान शुभम शर्मा पुत्र प्रदीप कुमार शर्मा हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 वल्लभ नगर कोटा के खातेदारी मे दर्ज है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी मदनलाल का कब्जा ना होकर वर्तमान खातेदार शुभम शर्मा का ही कब्जा है। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा नही होने तथा पत्रावली मे निहित खसरा नम्बरान 38, 48, 49 व 50 का प्रार्थी द्वारा बेचान किये जाने से वर्तमान मे खातेदार परिवर्तित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवॉं